कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

दिनांकः 18 मार्च-2016

<u>आदेश संख्याः 148 /2016</u>

बार एसोसिएशन, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्रांक-BAR/GZB/19/16 दिनांकित 18.03.2016 के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि दिनांक 24.03.2016 को होली के पर्व के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया जाए।

उक्त पत्र में निवेदन किया गया है कि होली का त्यौहार दिनांक 24.03.2016 को है परन्तु इस तिथि को अवकाश घोषित नही है। यह कहा गया है कि दिनांक 14.11.2016 को स्थानीय अवकाश गढगंगा स्नान के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है, जबकि गढमुक्तेश्वर अब जनपद हापुड़ के क्षेत्राधिकार में आता है। यह कहा गया है कि वादकारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 14.11.2016 को गंगा स्नान पर्व के उपलक्ष्य में जो स्थानीय अवकाश की घोषणा की गयी है उसे वापस लेकर उसके बदले दिनांक 24.03.2016 को होली के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया जाए।

उक्त संबंध में द्रिक पचांग, एवं जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी, शासन द्वारा जारी अवकाश सूची के अनुसार रंग वाली होली/दुलहैंडी दिनांक 24.03.2016 को है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के उपयोगार्थ जारी कलैंडर वर्ष 2016 में 24.03.2016 का अवकाश अंकित नही है।

बार एसोसिएशन गाजियाबाद के उक्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए गंगा स्नान के उपलक्ष्य में घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 14.11.2016 को वापस लेते हुए, इसके स्थान पर होली के पर्व के उपलक्ष्य में दिनांक 24.03.2016 को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, ताकि वादकारियों एवं अधिवक्तागण को इस त्यौहार पर कोई असुविधा ना हो।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचित किया जाए तथा आदेश की एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

(1) सभी न्यायालयों एवं कार्यालयों के पीठासीन अधिकारीगण।

(2) केन्द्रीय नाजिर, (नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु)।

(3) अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, गाजियाबाद।

(4) संपादक, स्थानीय समाचार पत्र(प्रकाशन हेतु)।

18.3.16

(रामकृष्ण उपाध्याय)

जनपद न्यायाधीश,

District Judge

Ghaziabad